

कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी रायगढ़ (छ.ग.)

// अपील //

क्रमांक/2868/न्या.लि./कोरोना/2020

रायगढ़, दिनांक 22/03/2020

माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशों के अनुसार राज्य शासन द्वारा डेडिकेटेड वेबसाइट तैयार की गई है, जिस पर कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण पर नियंत्रण हेतु राज्य शासन के सभी विभागों द्वारा जारी महत्वपूर्ण दिशा-निर्देशों का संकलन उपलब्ध है, जिसे शासन के वेबसाइट gad.cg.gov.in/cgcorona में देखा जा सकता है।

अतएव सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुख जिला-रायगढ़ तथा सर्व साधारण/जन-मानस से अपील है कि कोरोना वायरस (COVID-19) के संबंध में शासन द्वारा समय-समय पर जारी पुख्ता एवं सटीक जानकारी संबंधी दिशा-निर्देश का उक्त वेबसाइट से अवलोकन कर, अनुपालन सुनिश्चित करें तथा राज्य शासन को इस आपदा की स्थिति में आवश्यक सहयोग प्रदान कर, अफवाहों एवं भ्रामक जानकारियों से बचना सुनिश्चित करें।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी

रायगढ़ (छ.ग.)

पृ. क्रमांक/2868-A/न्या.लि./कोरोना/2020

रायगढ़, दिनांक 22/03/2020

प्रतिलिपि : -

1. अपर मुख्य सचिव, छ.ग. शासन, गृह विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
2. सचिव, छ.ग. शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
3. सचिव, छ.ग. शासन, स्वा. एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय महानदी भवन, अटल नगर, नवा रायपुर
4. आयुक्त, बिलासपुर संभाग बिलासपुर
— की ओर सादर सूचनार्थ सम्प्रेषित।
5. पुलिस अधीक्षक, जिला-रायगढ़
6. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत रायगढ़
7. सर्व अपर कलेक्टर, जिला-रायगढ़
8. सर्व विभाग/कार्यालय प्रमुख, जिला-रायगढ़
— की ओर सूचनार्थ।
9. सर्व अनुविभागीय दण्डाधिकारी (रा.) जिला-रायगढ़
10. आयुक्त, नगर पालिक निगम रायगढ़
11. सर्व मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत जिला-रायगढ़
12. सर्व तहसीलदार जिला-रायगढ़
13. सर्व मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत जिला-रायगढ़
— की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित, कृपया अपने-अपने क्षेत्रांतर्गत उक्त अपील का उचित माध्यम से सघन प्रचार-प्रसार करना सुनिश्चित करें।
14. सहायक संचालक, जनसम्पर्क, जिला रायगढ़ की ओर सूचनार्थ एवं निःशुल्क प्रकाशनार्थ।

कलेक्टर

एवं जिला दण्डाधिकारी

रायगढ़ (छ.ग.)